# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2018 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 31.07.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00051

विजयसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, उम्र 80 वर्ष, पेशा कृषि एवं आराम, निवासी ग्राम मान जी का गुढ़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.05.2018 न्यायालय तहसीलदार भदेसर मिसल नम्बर 01/2017 व 01/2018**

उपस्थितिः–1– श्री चांदमल गर्ग, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

| प्र. सं. 30/2018 (रा. अ.) |
| --- |
| विजयसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत निवासी ग्राम मानजी का गुढ़ा, तहसील भदेसर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर |

## निर्णय

**दिनांक 25.07.2024**

अपीलांट द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि राजस्थान सरकार अर्थात् उदयपुर डिवीजन कमीश्नर द्वारा भू-दान बोर्ड को उनके आदेश क्रमांक/ भूअआरएम/10/11/11251/52 दिनांक 07.07.1954 के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले को 405 बीघा भूमि दी गई जिसमें से भदेसर तहसील के ग्राम मुरलिया, रेवलिया, कूंथना एवं मानजी का गुढ़ा को कुल 103 बीघा भूमि दी गई। जिसमें से 60 बीघा भूमि ग्राम मानजी का गुढ़ा को दी उक्त 60 बीघा में से 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन 08 आवंटियों को हुआ जिसमें एक अपीलांट भी है जिसके आराजी नम्बर 101 मी. में से 08 बीघा भूमि तत्कालीन आवंटन समिति भू-दान यज्ञ बोर्ड ने दिनांक 06.12.1975 को अपीलांट के नाम आवंटन कर कब्जा सिपुर्द किया तभी से आदिनांक तक अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो उपयोग-उपभोग कर रहा है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2013 से सभी नॉन पीटीशनर को दो माह में वादग्रस्त भूमि को अपीलांट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में समस्त तथ्यों की जांच कर अपीलांट के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना नहीं की और अपने आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित कर दिये जो परस्पर विरोधाभासी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भदेसर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि राजस्थान सरकार अर्थात् उदयपुर डिवीजन के कमीश्नर के द्वारा भू-दान बोर्ड को जिला चित्तौड़गढ़ हेतु कुल 405 बीघा भूमि दी जिसमें तहसील भदेसर के ग्राम मुरलिया, रेवलिया, कूंथना एवं मानजी का गुढ़ा हेतु कुल 103 बीघा भूमि जिसमें से 60 बीघा भूमि ग्राम मानजी का गुढ़ा को दी। उक्त 60 बीघा भूमि में से 43 बीघा

10 बिस्वा भूमि का आवंटन 08 आवंटियों को हुआ जिसमें से अपीलांट भी एक है अपीलांट को आराजी नम्बर 101 मी. में से 8 बीघा भूमि का आवंटन भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 06.12.1975 को अपीलांट को किया गया जिस पर अपीलांट आवंटन दिनांक से काबिज हो फसल बोकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात भू–दान यज्ञ बोर्ड के नाम खातेदारी में अमल दरामद करने एवं अमल दरामद के बाद अपीलांट के खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश राजस्थान भू–दान बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक 1300 दिनांक 16.02.2008 को जिला कलक्टर को दिये और जिला कलक्टर ने मातहत योग्य अदालत को उक्त आदेश की पालनार्थ निर्देश दिये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना नहीं की पुनः राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 272 दिनांक 29.07.2009 को जिला कलक्टर को वादग्रस्त आराजीयात भू–दान बोर्ड के नाम करने के आदेश दिये पुनः जिला कलक्टर ने तहसीलदार, भदेसर को आदेश की पालना हेतु निर्देश दिये उक्त आदेश की पालना भी अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर द्वारा नहीं करने से अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रीट पीटीशन संख्या 2959/2011 दायर की जिस पर बाद सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2013 से सभी नॉन पीटीशनर को दो माह में राजस्व रेकार्ड में समस्त तथ्यों की जाचं कर अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज करने के आदेश दिए किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जिला कलक्टर के आदेशों की पूर्णअवज्ञा कर वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के खातेदारी में दर्ज नहीं की। अपीलांट ने तहसीलदार भदेसर के आदेश दिनांक 30.12.2015 की प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत की जिस पर प्र. सं. 88/2016 दर्ज होकर अपने निर्णय दिनांक 06.12.2016 से तहसीलदार, भदेसर के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार, भदेसर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर ने किसी आदेश की पालना नहीं करते हुए नए सिरे से मिसल नम्बर 01/2017 कायम कर समस्त निर्देशों को नजरअन्दाज करते हुए यह विवादित आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित कर दिये जिसमें

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित किया कि आधारहीन दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी दी जाती है तो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विविध प्रकार की जटिलताऐं पैदा हो जाएगी जिसका भविष्य में कानूनी रूप से भी निराकरण संभव नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट के पुत्र अर्जुन सिंह का आराजी नम्बर 2554 रकबा 02 बीघा पर पृथक् से कब्जा बता धारा 91 की कर्यवाही विचाराधीन होना बताया। आराजी नम्बर 2554 के हाल आराजी नम्बर 101/4 बताये। मौका-पर्चा में विजयसिंह के हस्ताक्षर होना बताकर वादग्रस्त आराजीयात पर मनमकसूद तरीके से कभी कब्जा नहीं होने का कथन अंकित किया है जो कि मनगढ़न्त होकर झूठ है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य-सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया और पेश दस्तावेजों को रेकार्ड पर नहीं लिया तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई अपीलांट के पुत्र अर्जुन सिंह द्वारा न्यायालय में तारीख पेशी की जानकारी करने पर उसे निर्णय ही पारित कर दिये जाने की जानकारी दी जिस पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय से नकलें प्राप्त की तथा अपीलांट का स्वास्थ्य खराब हो जाने से अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका जो कि सद्भाविक कारण है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड के आदेश, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश एवं न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना करा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के नाम दर्ज कराने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा। अपीलांट के बडे पुत्र अर्जुन सिंह का आराजी नम्बर 2554 रकबा 02 बीघा पर पृथक से नाजायज कब्जा है जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उसे भू-दान यज्ञ बोर्ड द्वारा भूमि आवंटन करने संबंधी कथन की पुष्टि हो। अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे।

| प्र. सं. 30/2018 (रा. अ.) |
| --- |
| विजयसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत निवासी ग्राम मानजी का गुढ़ा, तहसील भदेसर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर |

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.05.2018 जारी करने से पूर्व उसे साक्ष्य–सबूत पेश करने तथा सुनवाई का अवसर नहीं देने का कथन किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.09.2017 में ''प्रार्थी ने अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।'' अंकन किया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट प्रतिवेदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की ओर से मात्र प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2017 संलग्न है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2013 एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के प्र. सं. 88/2016 में पारित निर्णय की पालना करने संबंधी अंकन है।

चूंकि प्रकरण भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि संबंधित है तथा अपीलांट ने आवंटन दिनांक 06.12.1975 से निरन्तर उसका कब्जा–काश्त होने संबंधी कथन किया है।

| प्र. सं. 30/2018 (रा. अ.) |
| --- |
| विजयसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत निवासी ग्राम मानजी का गुढ़ा, तहसील भदेसर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर |

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेज पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्यहित को भी ध्यान में रखते हुए पुनः नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

**(राकेश कुमार)**